माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक— ~~/2018~~ निगरानी—4087/2018/विदिशा/भू.रा.

पुनरीक्षणकर्ता

केसरी पुत्र चूनिया, जाति— अहिरवार, निवासी— हरिजन मोहल्ला लटेरी, तहसील— लटेरी, जिला— विदिशा म0प्र0

बनाम

अनावेदकगण

1. हीरालाल, आयु— 57 वर्ष,
2. रोशनलाल, आयु— 42 वर्ष,
3. कमरलाल, आयु— 37 वर्ष,

   पुत्रगण तुलाराम, जाति— अहिरवार, निवासी— लटेरी, तहसील— लटेरी, जिला— विदिशा म0प्र0
4. देशराज, आयु— 35 वर्ष,
5. लालाराम, आयु— 21 वर्ष,

   पुत्रगण— गंगाराम, जाति— अहिरवार, निवासी— वार्ड क.—14 लटेरी, तहसील— लटेरी, जिला— विदिशा म0प्र0
6. विमलावाई आयु— 30 वर्ष, पुत्री गंगाराम पत्नि भूरेलाल, जाति— अहिरवार, निवासी— ग्राम लटेरी, हाल मुकाम — आमखेड़ा, तहसील— लटेरी, जिला— विदिशा म0प्र0
7. रीमावाई आयु— 26 वर्ष, पुत्री गंगाराम पत्नि नवलसिंह, जाति— अहिरवार, निवासी— ग्राम रुसिया, तहसील— लटेरी, जिला — विदिशा म0प्र0

आज 5-7-18 को ... शर्मा अधि0 द्वारा प्रस्तुत।
5-7-18

पेशी 16-7-18

D.V. SINGH 3050 Oth Commissioner GWALIOR

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959

मानजी,

उक्त पुनरीक्षण श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण कमांक–05/अ–70/17–18 उन्मान हीरालाल आदि बनाम केशरी आदि जो अनावेदकगण द्वारा धारा 250 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत सर्वे कमांक 371/02/2 रकवा 0.173 हे0 पटवारी हल्का कमांक–30 तहसील लटेरी जिला विदिशा के कब्जा हेतु आवेदन पर दि. 06.06.18 साक्ष्य हेतु नियत की है के विरुद्ध यह पुनरीक्षण आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है –

1. यहकि, पुनरीक्षणकर्ता के स्वत्व स्वामित्व की भूमि खसरा कमांक 371/02/2 रकवा 0.173 हे0 लगान 0.67 पैसे पटवारी हल्का कमांक 30 राजस्व निरीक्षक मंडल 2 तहसील लटेरी जिला विदिशा म0प्र0 में स्थित है जिस पर पुनरीक्षणकर्ता पुस्तेनी समय से काबिज होकर कृषि कार्य कर रहा है।

2. यहकि, उक्त सर्वे नंबर के संबंध में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा एक अपील अनावेदकगण के विरुद्ध न्यायालय अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष प्रकरण कमांक 792/अपील/2015–16 पर दर्ज होकर विचाराधीन है तथा उक्त प्रकरण की जानकारी अनावेदकगण को है क्योंकि उक्त अनावेदकगण उक्त अपील में उपस्थित हो रहे है। उक्त आदेश पत्रिका की प्रति माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जा रही है जिसे <u>अनेक्जर ए/1</u> के रुप में चिन्हित किया गया है।

D.V. SINGH
3050
Ath. Commissioner

3. यहकि, अनावेदकगण ने न्यायालय तहसीलदार महोदय लटेरी जिला विदिशा म0प्र0 के समक्ष एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4087/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अमित शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	